



गीला कचड़ा सूखा कचड़ा हेतु व्यवस्था



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : कु.स. 6499 /2023

दिनांक : 25 मई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय पत्रांक-स.का.2597/2023 दिनांक 25.05.2023 के सातत्य में सम्पति कार्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्रियों के नीलामी हेतु निविदादाताओं को निविदा (टेण्डर) डालने के लिए दिनांक 27 मई, 2023, अपराह्न 04:30 बजे तक अभिवृद्धि की जाती है एवं उक्त निविदा (टेण्डर) दिनांक 29.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे कुलसचिव कार्यालय में खोला जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

28/5-23
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त महानुभाय।

1. प्रो. हरि प्रसाद अधिकारी	- अध्यक्ष
2. विनयाधिकारी	- सदस्य
3. वित्त अधिकारी/नामित सदस्य	- सदस्य
4. उपकुलसचिव (परीक्षा)	- सदस्य
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)	- सदस्य
6. अभियन्ता	- सदस्य
7. सम्पत्ति प्रपारी	- सदस्य
8. कार्य से सम्बन्धित समिति/विभाग के संयोजक/अध्यक्ष	- सदस्य
3. प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त ज्ञाप को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करायें।
4. प्रपारी सम्पत्ति।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

28/5-23
कुलसचिव

निष्प्रयोज्य सामग्रियों हेतु निविदा



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - कु.सं. 574/2023

दिनांक 25 अप्रैल, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की रद्दी उत्तरपुस्तिकाओं/कागजों के नीलामी एवं विक्रय हेतु आमंत्रित उत्कथन/निविदाओं को खोलने के लिए मा. कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 09.04.2023 के अनुपालन में अधोलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है -

1. प्रो. रामपूजन पाण्डेय
2. प्रो. राजनाथ
3. प्रो. विनेश कुमार गर्ग
4. डॉ. विद्या कुमारी चन्द्रा
5. डॉ. विजेन्द्र कुमार आर्य
6. अधीक्षक, लेखानुभाग

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण।
3. विनयाधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. प्रभारी सम्पत्ति।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/परीक्षा)।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

28/5-4-23
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

28/5-4-23
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

रद्दी कागजों के नीलामी एवं विक्रय हेतु



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 2766 /2023

दिनांक : 15.06.2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी के पत्रांक संख्या 957//21-22 दिनांक 02.12.2021 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर कूड़ा, खरपतवार जलाने जैसे गतिविधियों के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि सम्पत्ति कार्यालय, उद्यान विभाग, विश्वविद्यालय कैम्पस में जनित ठोस अपशिष्ट के समुचित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उक्त के साथ ही आवासीय अध्यापक, अधिकारी व कर्मचारी एवं विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं आवासीय कैम्पस के अन्दर ठोस अपशिष्ट कूड़ा, खरपतवार न जलाया जाय। यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि परिसर/कैम्पस के अन्दर पायी जाती है तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

15/6/2023
कुलसचिव
(राकेश कुमार)
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. जिलाधिकारी, वाराणसी।
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
5. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
7. पुस्तकाध्यक्ष।
8. परीक्षा नियंत्रक।
9. उपकुलसचिव (परीक्षा)।
10. समस्त सहायक कुलसचिव।
11. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
12. अधीक्षक (लेखा/प्रशासन/परीक्षा)।
13. समस्त विभागानुभाग।
14. समस्त सूचनापट्ट।
15. सम्बद्ध पत्रावली।

15/6/2023
कुलसचिव
(राकेश कुमार)
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

ठोस अपशिष्ट(कूड़ा) न जलाने से सम्बन्धित



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 3418 /2023

दिनांक : 06.08.2023

कार्यालय-ज्ञाप

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 की भावना को आगे बढ़ाते हुए, देश द्वारा कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबन्धित किया गया है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय परिसर में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. पुस्तकाध्यक्ष।
4. निदेशक, अनुसंधान एवं प्रकाशन संस्थान।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी.।
7. समस्त सहायक कुलसचिव।
8. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
9. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/परीक्षा/सम्बद्धता)।
10. जनसम्पर्क अधिकारी।
11. प्रभारी, सम्पत्ति।
12. समस्त विभागानुभाग।
13. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



वृक्षारोपण कार्यक्रम – 2022



वृक्षारोपण कार्यक्रम – 2023

वृक्षारोपण कार्यक्रम – 2024



विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महत्वपूर्ण वृक्षों पर अंकन

वृक्षों का प्रतिपक्ष

संस्कृत

संस्कृत

विद्यालय

उद्यान - विभाग

वृक्षों का सम्पूर्ण संख्या-का विवरण-

[illegible][illegible][illegible]

वृक्षों की सूची



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सा. 34/18 /2023

दिनांक : 06.08.2023

कार्यालय-ज्ञाप

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 की भावना को आगे बढ़ाते हुए, देश द्वारा कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबन्धित किया गया है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय परिसर में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. पुस्तकाध्यक्ष।
4. निदेशक, अनुसंधान एवं प्रकाशन संस्थान।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. समन्वयक, आई.व्यू.ए.सी.।
7. समस्त सहायक कुलसचिव।
8. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
9. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/परीक्षा/सम्बद्धता)।
10. जनसम्पर्क अधिकारी।
11. प्रभारी, सम्पत्ति।
12. समस्त विभागानुभाग।
13. सम्बद्ध पत्रावली।

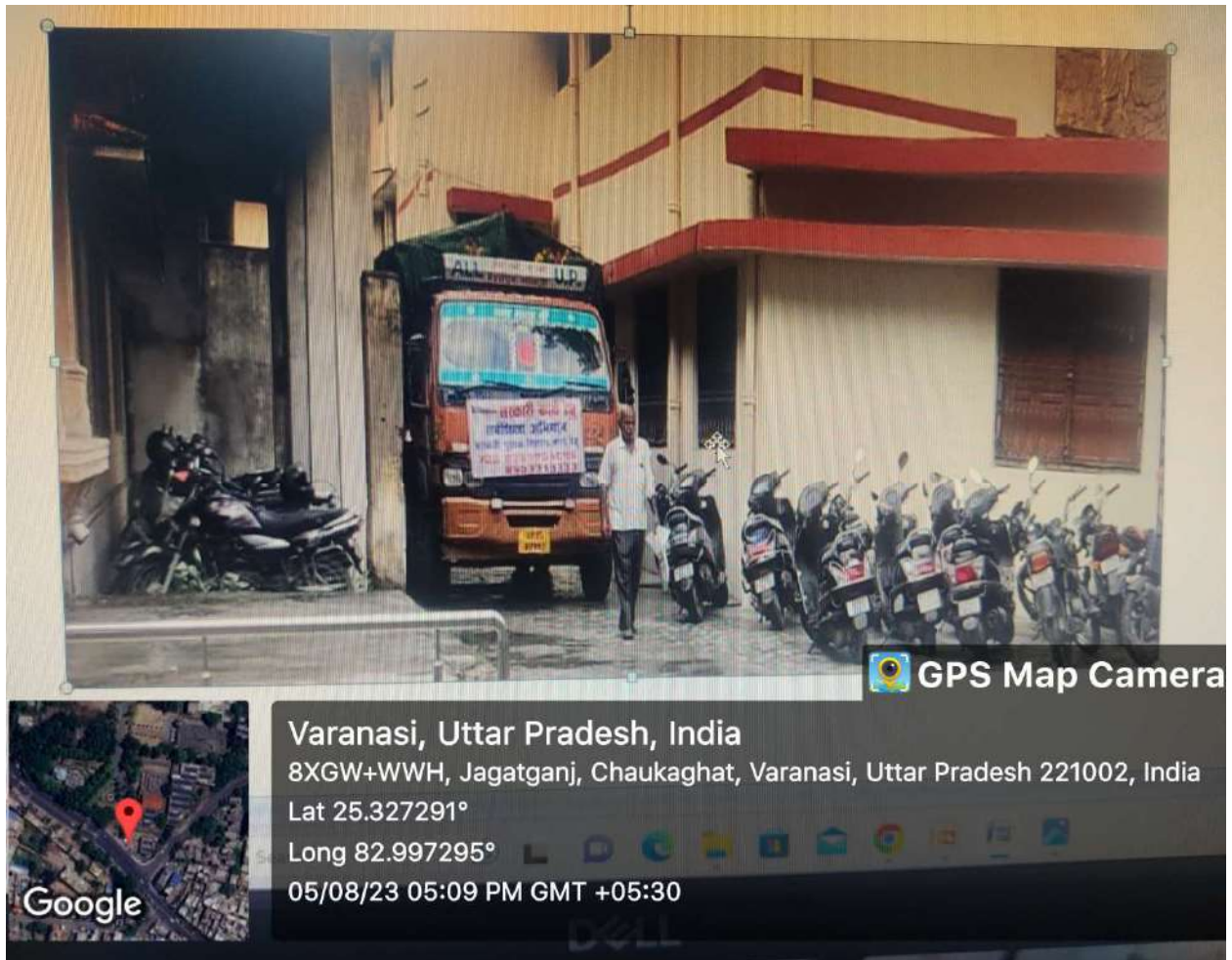
(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

परिसर में प्लास्टिक प्रयोग के प्रतिबन्ध से सम्बन्धित आदेश



वाहन स्टैण्ड